विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली – 110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Phone : 011-23406308, 011-23406309

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

मि0सं0 16–1 / 2008 / (राजभाषा)

जून, 2018

12 JUN 2018

OFFICE OF THE REGISTRAR
LUCKNOW UNIVERSITY
28 JUN 2018
No. 2624

कुलसचिव,
लखनऊ यूनिवर्सिटी,
लखनऊ–226 007,
(उत्तर प्रदेश)

कार्यालय ज्ञापन

विषयः– मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 1 मई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं013035–13 / 2016–रा.भा.ए. के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 14 मई, 2018 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में सदस्य श्री हरवीर सिंह शास्त्री जी के सुझाव प्रेषित किए गए थे, जो कि निम्नवत् है:

"कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग मंत्री–अधिकारियों और कर्मचारी सभी गर्व के साथ करें। पत्रोत्तर राजभाषा में अवश्य होना चाहिए। राजभाषा के व्यावहारिक शब्दों को बोलने में गर्व अनुभव करें, जैसे–नमस्ते, नमस्कार श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, कृपया धन्यवाद आदि। इनके स्थान पर यदि हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते रहे तो राजभाषा का गौरव कैसे बढ़ेगा?

परिवार में भी राजभाषा अथवा राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे–माता, पिता, बहिन, चाचा, चाची आदि। इसके विपरीत अनेक परिवारों में विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग अहितकर है।

सामाजिक जीवन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमें परस्पर संवाद राजभाषा में करना चाहिए। पत्र व्यवहार हिन्दी में करना चाहिए। सभा में भाषण भी राजभाषा में करना चाहिए।"

मेघा कौशिक

(मेघा कौशिक)
शिक्षा अधिकारी

पत्रांक: UGC-15208-348 (?) — दिनांक 03/07/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव कुलपति लखनऊ वि०वि० को कुलपति जी को।
2. वै० सहा० प्रतिकुलपति लखनऊ वि०वि० को प्रतिकुलपति जी को।
3. वै० सहा० कुलसचिव लखनऊ वि०वि० को कुलसचिव जी को।
4. संकायाध्यक्ष, कला/विज्ञान/वाणिज्य/शिक्षा/विधि एवं [illegible]
5. समस्त विभागाध्यक्ष उपरोक्त संकाय।
6. कुलानुशासक, लखनऊ वि०वि०।
7. वित्त अधिकारी लखनऊ वि०वि०।
8. [illegible] निदेशक [illegible]।
9. परीक्षा नियंत्रक लखनऊ वि०वि०।
10. [illegible] लखनऊ वि०वि०/ [illegible] महाविद्यालय।
11. अधिष्ठाता छात्र कल्याण लखनऊ वि०वि०।
12. सम्बद्ध उप कुलसचिव लखनऊ वि०वि०।
13. इंचार्ज [illegible] लखनऊ वि०वि०।

[signature]

उप कुलसचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ